संख्या- 18/2025/52/60-1-2025

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 24 मार्च, 2025**

विषय:- केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर (स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर व आफ्टर केयर) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-858/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2024-25, दिनांक 17.03.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर (स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर व आफ्टर केयर) हेतु लेखाशीर्षक-2235-102-01-18 के मानक मद-42-अन्य व्यय में रू0 14,40,00,000/- (रूपये चौदह करोड़ चालीस लाख मात्र) तथा लेखाशीर्षक-2235-102-89-18 के अन्तर्गत मानक मद संख्या-42-अन्य व्यय में रू0 9,60,00,000/- (रूपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र) अर्थात इस प्रकार कुल रू0 24,00,00,000/- (रूपये चौबीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 तथा यथासंशोधित दिनांक 19.06.2024 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 14,40,00,000 (रुपये चौदह करोड़ चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-049 लेखा शीर्षक-2235021020118 नॉन इंस्टीटूशनल केयर-स्पांसरशिप/फोस्टर केयर-आफ्टर केयर (के.60/रा.40 के.) मानक मद-42 अन्य व्यय (2) रुपये 9,60,00,000 (रुपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-049 लेखा शीर्षक-2235021028918 नॉन इंस्टीटूशनल केयर-स्पांसरशिप/फोस्टर केयर-आफ्टर केयर मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-ई-4-295-X-2024-25, दिनांक 24-03-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-18/2025/52(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।